सं0 ।।/12013/01/2011-रा0भा0(नीति/के0अनु0ब्यूरो)

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

राजभाषा विभाग

*****

एनडीसीसी-।। भवन, जयसिंह रोड,

नई दिल्ली, दिनांक 30 अक्तूबर, 2012

कार्यालय ज्ञापन

विषय :- सरकारी कामकाज (टिप्पण/आलेखन) मूल रूप से हिंदी में करने तथा अधिकारियों द्वारा हिंदी में डिक्टेशन देने के लिए प्रोत्साहन राशि में वृद्धि ।

राजभाषा विभाग के दिनांक 16 फरवरी, 1988 के कार्यालय ज्ञपन सं0 ।।/12013/3/87-रा0भा0(क-2) के तहत सरकारी कामकाज में मूल हिंदी में आलेखन/टिप्पण के लिए पहले से चलाई जा रही प्रोत्साहन योजना पर वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग की सहमति के आधार पर उक्त कार्यालय ज्ञापन में दर्शाई गयी नगद पुरस्कार राशि को राजभाषा विभाग के दिनांक 16 सितम्बर, 1998 के कार्यालय ज्ञापन सं0 ।।/12013/18/93-रा0भा0 (नी02) के तहत पहले के मुकाबले दोगुना कर दिया गया था ।

2. उपरोक्त योजनाके अंतर्गत दी जाने वाली पुरस्कार राशि को बढ़ाने का प्रस्ताव सरकार के पुन: विचाराधीन था । वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग की सहमति के आधार पर पुरस्कार राशि को पुन: दोगुना कर दिया है । बढ़ाई गई पुरस्कार राशि निम्न प्रकार है:-

(क) केंद्रीय सरकार के प्रत्येक मंत्रालय/ विभाग/ संबद्ध कार्यालय के लिए स्वतंत्र रूप से :

पहला पुरस्कार (2 पुरस्कार)	:	प्रत्येक रू0 2000/-
दूसरा पुरस्कार (3 पुरस्कार)	:	प्रत्येक रू0 1200/-
तीसरा पुरस्कार (5 पुरस्कार)	:	प्रत्येक रू0 600/-

(ख) केंद्रीय सरकार के किसी विभाग के प्रत्येक अधीनस्थ कार्यालय के लिए स्वतंत्र रूप से :

पहला पुरस्कार (2 पुरस्कार)	:	प्रत्येक रू0 1600/-
दूसरा पुरस्कार (3 पुरस्कार)	:	प्रत्येक रू0 800/-
तीसरा पुरस्कार (5 पुरस्कार)	:	प्रत्येक रू0 600/-

उक्त योजना के बारे में दिनांक 16 फरवरी, 1988 के कार्यालय ज्ञापन के तहत बनाए गए सभी नियम एवं शर्तें पूर्ववत रहेंगी । पुरस्कार की बढ़ी हुई राशि तत्काल प्रभाव से लागू मानी जाएगी ।

30/10/2012

3. ठीक इसी प्रकार इस विभाग के दिनांक 6 मार्च, 1989 के कार्यालय ज्ञापन सं0 11/12013/1/89-रा0भा0(क-2) के तहत अधिकारियों को हिंदी में डिक्टेशन देने के लिए प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किए गए थे । उक्त मार्गदर्शी सिद्धांतों में पुरस्कार राशि दिनांक 16 सितम्बर, 1998 के कार्यालय ज्ञापन सं0 11/12013/18/93-रा0भा0(नी02) में दिए गए निर्देशों द्वारा 1000/- रू0 कर दी गई थी । इस योजना में दी जाने वाली राशि अब 2000/- रू0 कर दी गई है जोकि तत्काल प्रभाव से लागू मानी जाएगी । उक्त मार्गदर्शी सिद्धांत में वर्णित सभी शर्तें पूर्ववत रहेंगी ।

4. यह कार्यालय ज्ञापन वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग की सहमति से उनके दिनांक 09-11-2011के यू0ओ0 सं0 1(18)/E.Coord./2011 के अनुसार जारी किया जा रहा है ।

30/11/2012

(हरिन्द्र कुमार)
निदेशक (तकनीकी/नीति)

सेवा में :-

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/ विभागों को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु, उनसे यह भी अनुरोध है कि इस कार्यालय ज्ञापन को अपने संबद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों की जानकारी तथा आवश्यक कार्रवाई के लिए ध्यान में ला दें एवं की गई कार्रवाई से राजभाषा विभाग को भी सूचित करें ।
2. संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली ।
3. भारत का निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली ।
4. भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कार्यालय, नई दिल्ली ।
5. राष्ट्रपति सचिवालय, नई दिल्ली ।
6. उप राष्ट्रपति सचिवालय, नई दिल्ली ।
7. प्रधानमंत्री कार्यालय, नई दिल्ली ।
8. मंत्रिमंडल सचिवालय, नई दिल्ली ।
9. लोक सभा सचिवालय, नई दिल्ली ।
10. राज्य सभा सचिवालय, नई दिल्ली ।
11. योजना आयोग, नई दिल्ली ।
12. निदेशक, केंद्रीय अनुवार ब्यूरो, नई दिल्ली ।
13. निदेशक, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली ।
14. संसदीय राजभाषा समिति, 11 तीनमूर्ति मार्ग, नई दिल्ली ।
15. केंद्रीय सचिवालय हिंदी परिषद, एक्स-वाई-68, सरोजिनी नगर, नई दिल्ली ।
16. अध्यक्ष,अखिल भारतीय हिंदी संस्था संघ, 34, कोटला रोड, नई दिल्ली ।
17. राजभाषा विभाग के सभी अधिकारी/डेस्क/अनुभाग/एकक (कार्यान्वयन-2 अनुभाग को 3 प्रतियों के साथ)
18. राजभाषा विभाग के क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय (संलग्न सूची अनुसार)

परिपत्र सं0 21/88

संख्या-II/12013/3/87-रा•भा•(क-2)

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

राजभाषा विभाग

लोकनायक भवन, नई दिल्ली-3•

दिनांक 16 फरवरी, 1988•

कार्यालय ज्ञापन

विषय: सरकारी काम-काज मूल रूप से हिन्दी में करने के लिए प्रोत्साहन योजना।

इस विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 12013/1/84-रा•भा• (क-2) दिनांक 25 मई, 1984 के तहत सरकारी कामकाज में मूल हिन्दी टिप्पण/आलेखन के लिए एक संशोधित प्रोत्साहन योजना जारी की गई थी। इस योजना को और अधिक उदार बनाने के लिए इस विभाग को समय-समय पर सुझाव प्राप्त होते रहे हैं। केन्द्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 27 मई, 1987 को हुई बैठक में भी हिन्दी में काम करने के लिए प्रोत्साहन योजना में परिवर्तन करने के सुझाव दिये गये थे। इन सभी सुझावों पर विचार करने के बाद वित्त मंत्रालय की सलाह से एक नई प्रोत्साहन योजना प्रारम्भ करने का निर्णय लिया गया है जो 25 मई, 1984 के कार्यालय ज्ञापन द्वारा जारी की गई प्रोत्साहन योजना के स्थान पर चलाई जाएगी। योजना का विवरण इस प्रकार है :-

2• (1) योजना का क्षेत्र

केन्द्रीय सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग/सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालय अपने अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए स्वतंत्र रूप से इस योजना को लागू कर सकते हैं।

(2) पात्रता

(क) सभी श्रेणियों के वे अधिकारी/कर्मचारी इस योजना में भाग ले सकते हैं जो सरकारी काम पूर्णत: या कुछ हद तक मूल रूप से हिन्दी में करते हैं।

17FEB1988

2/-

(ख) केवल वही अधिकारी/कर्मचारी पुरस्कार के पात्र होंगे जो "क" तथा "ख" क्षेत्र (अर्थात बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्यप्रदेश, राजस्थान, उत्तरप्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब राज्य तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र तथा चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र) में वर्ष में कम से कम 20 हजार शब्द तथा "ग" क्षेत्र (जिसमें "क" व "ख" क्षेत्र के अलावा बाकी सभी राज्य और संघ राज्य क्षेत्र शामिल हैं) में वर्ष में कम से कम 10 हजार शब्द हिन्दी में लिखें। इसमें मूल टिप्पण व प्रारूप के अलावा हिन्दी में किए गए अन्य कार्य जिनका सत्यापन किया जा सके, जैसे रजिस्टर में इन्दराज, सूची तैयार करना, लेखा का काम आदि, भी शामिल किए जाएंगे।

(ग) आशुलिपिक/टाइपिस्ट, जो सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने संबंधी किसी अन्य योजना के अंतर्गत आते हैं इस योजना में भाग लेने के पात्र नहीं होंगे।

(घ) हिन्दी अधिकारी और हिन्दी अनुवादक हो सामान्यत: अपना काम हिन्दी में करते हैं, वे इस योजना में भाग लेने के पात्र नहीं होंगे।

(3) पुरस्कार-

भाग लेने वाले कर्मचारियों को प्रतिवर्ष उनके द्वारा हिन्दी में किए गए काम के आधार पर निम्नलिखित नकद पुरस्कार दिए जाएंगे :-

(क) केन्द्रीय सरकार के प्रत्येक मंत्रालय/विभाग/सम्बद्ध कार्यालय के लिए स्वतंत्र रूप से :

पहला पुरस्कार (2 पुरस्कार): प्रत्येक रु0 500/-
दूसरा पुरस्कार (3 पुरस्कार): प्रत्येक रु0 300/-
तीसरा पुरस्कार (5 पुरस्कार): प्रत्येक रु0 150/-

----------3/-

(11)

(ख) केन्द्रीय सरकार के किसी विभाग के प्रत्येक अधीनस्थ कार्यालय के लिए स्वतंत्र रूप से :

पहला पुरस्कार : 2 पुरस्कार : प्रत्येक रु0 400 /-
दूसरा पुरस्कार : 3 पुरस्कार : प्रत्येक रु0 200 /-
तृतीय पुरस्कार : 5 पुरस्कार : प्रत्येक रु0 150 /-

(4) योजना के प्रयोजन के लिए प्रत्येक अलग भौगोलिक स्थिति वाले कार्यालय को स्वतंत्र एकक माना जाएगा । उदाहरणार्थ अलग क्षेत्र में स्थित आयकर आयुक्त के अधीन सहायक आयकर आयुक्त आदि का कोई कार्यालय अथवा रेलवे के मंडल रेल प्रबन्धक के अधीन क्षेत्रीय अधीक्षक आदि का कार्यालय इस योजना के चलने के लिए एक स्वतंत्र एकक माना जाएगा । रक्षा मंत्रालय या डाकतार विभाग के अधीनस्थ तथा संबद्ध कार्यालयों आदि के बारे में भी ऐसी ही स्थिति होगी ।

(5) पुरस्कार देने के लिए मापदण्ड :

(क) मूल्यांकन करने के लिए कुल 100 अंक रखे जाएगें । इनमें से 70 अंक हिन्दी में किए गए काम की मात्रा के लिए रखे जाएगें और 30 अंक विचारों की स्पष्टता के लिए होंगे ।

(ख) जिन प्रतियोगियों की मातृभाषा तमिल, तेलुगू, कन्नड़, मलयालम बंगाली, उड़िया या असमिया हो उन्हें 20 प्रतिशत तक अतिरिक्त अंकों का लाभ दिया जाएगा । ऐसे कर्मचारी को दिए जाने वाले वास्तविक अंकों के लाभ का निर्धारण मूल्यांकन समिति द्वारा किया जाएगा । ऐसा करते समय समिति उन अधिकारियों/कर्मचारियों के काम के स्तर को भी ध्यान में रखेगी जो अन्यथा उससे क्रम में ऊपर हैं ।

(ग) प्रतियोगी प्रतिदिन संलग्न प्रपत्र में अपने हिन्दी में लिखे गए शब्दों का लेखा-जोखा रखेंगे । प्रत्येक सप्ताह के लेखे-जोखे पर अगले उच्च अधिकारी द्वारा सत्यापन करने के बाद प्रति हस्ताक्षर किए जाएगें । यदि अनुभाग का अधिकारी स्वयं लेखा-जोखा रखता है तो कर्मचारी को लेखा-जोखा रखना आवश्यक नहीं होगा ।

----------4/-

(12)

(घ) एक वर्ष के अंत में प्रत्येक प्रतियोगी हिन्दी में किए गए अपने काम का लेखा-जोखा प्रति-हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी के माध्यम से मूल्यांकन समिति को प्रस्तुत करेगा। यदि प्रति-हस्ताक्षर करने वाला अधिकारी या विभाग प्रमुख स्वयं पूर्णतया निगरानी रखता है और लेखा-जोखा रखता है तो इसकी आवश्यकता नहीं होगी और उसे ब्यौरा देना होगा ।

(6) मूल्यांकन समिति

मंत्रालयों/विभागों में हिन्दी प्रभारी संयुक्त सचिव, संगठन और पद्धति के प्रभारी अवर सचिव और वरिष्ठ हिन्दी अधिकारी/हिन्दी अधिकारी इस समिति के सदस्य हो सकते हैं । संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों में विभाग/कार्यालय के अध्यक्ष, हिन्दी अधिकारी और एक अन्य राजपत्रित अधिकारी या राजभाषा अधिकारी इसके सदस्य हो सकते हैं । तथापि विभिन्न संबंधित कार्यालयों में अधिकारियों की उपलब्धता के अनुसार समिति के गठन में परिवर्तन किया जा सकता है ।

3. पुरस्कार जीतने के बारे में संबंधित अधिकारी/कर्मचारी के सेवा विवरणों में भी समुचित उल्लेख कर दिया जाएगा । पुरस्कार प्राप्त करने वालों की एक सूची कृपया इस विभाग को भी पृष्ठांकित कर दी जाए ।

4. इस योजना के चलन पर होने वाले खर्च का वहन प्रत्येक मंत्रालय/विभाग/कार्यालय द्वारा अपने बजट प्रावधान से किया जाएगा । विभाग/कार्यालय का अध्यक्ष मूल्यांकन समिति की सिफारिशों पर इस परिपत्र के अधिकार से पुरस्कार स्वीकृत कर सकता है । इस पुरस्कार योजना पर वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग ने अपनी सहमति अ.टि.सं. एच-78/ई-III/87, दिनांक 27.1.88 द्वारा दे दी है ।

5. यह योजना 1 अप्रैल, 1988 से लागू होगी ।

6. समस्त मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि वे इस योजना को

.....5/-

अपने सभी अधिकारियों/कर्मचारियों में तुरन्त परिचालित करें और अपने मंत्रालय/विभाग में इसे 1 अप्रैल, 1988 से लागू करें। वे अपने सभी संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों को भी इस योजना के बारे में तुरन्त अवगत कराएं और उन्हें भी अपने सभी कार्यालयों में इसे 1 अप्रैल, 1988 से लागू करने के आदेश दें। वे अपने नियंत्रण अधीन उपक्रमों, निगमों आदि को भी इस योजना के बारे में जानकारी दें और उन्हें इस आधार पर अपने कार्यालयों में प्रोत्साहन योजना आरम्भ करने के लिए प्रेरित करें।

7. इस संबंध में की गई कार्रवाई की सूचना इस विभाग को कृपया शीघ्रातिशीघ्र दी जाए।

प्रपत्र

श्री/श्रीमती/कुमारी: .... को .... को समाप्त होने वाले सप्ताह में हिन्दी के मूल काम की साप्ताहिक विवरणी।

विवरणी

क्रम सं0	तिथि	कुल फाइलों, रजिस्टरों आदि की संख्या जिन में हिन्दी में काम किया गया।	हिन्दी में लिखे गए टिप्पणी और आलेखन के शब्दों की संख्या।	हिन्दी में किए गए और काम संक्षिप्त ब्यौरा	(शब्दों की संख्या।)	उच्च अधिकारी के हस्ताक्षर (सप्ताह में एक बार)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

गोविन्द दास बोलिया
(गोविन्द दास बोलिया)
उप सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग
2. संघ लोक सेवा आयोग
3. भारत का निर्वाचन आयोग

---6/-

सं॰ 11/12013/18/93-रा भा॰ (नी॰2)

भारत सरकार,
गृह मंत्रालय
राजभाषा विभाग
-0-

लोकनायक भवन, खान मार्किट,
नई दिल्ली-3 दिनांक 16 सितम्बर 1998.

कार्यालय ज्ञापन

विषय : सरकारी कामकाज (टिप्पण/आलेखन) मूल रूप से हिंदी में करने तथा अधिकारियों द्वारा हिंदी में डिक्टेशन देने के लिए प्रोत्साहन राशि में वृद्धि ।

राजभाषा विभाग के दिनांक 16 फरवरी 1988 के कार्यालय ज्ञापन सं0 11/12013/3/87-रा॰ भा॰ (क-2) के तहत सरकारी कामकाज में मूल हिंदी में टिप्पण/आलेखन के लिए पहले से चलाई जा रही प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत दी जाने वाली राशि को बढ़ाने का प्रस्ताव कुछ समय से सरकार के विचाराधीन था । वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग की सहमति के आधार पर उक्त कार्यालय ज्ञापन के पैरा-3 में जो नगद पुरस्कार देने का प्रावधान रखा गया था, उन पुरस्कार राशियों को पहले के मुकाबले दुगुना कर दिया गया है अर्थात् :

(क) केन्द्रीय सरकार के प्रत्येक मंत्रालय/विभाग/संबद्ध कार्यालय के लिए स्वतंत्र रूप से :

पहला पुरस्कार (2 पुरस्कार)	:	प्रत्येक रू0 1000/-
दूसरा पुरस्कार (3 पुरस्कार)	:	प्रत्येक रू0 600/-
तीसरा पुरस्कार (5 पुरस्कार)	:	प्रत्येक रू0 300/-

(ख) केन्द्रीय सरकार के किसी विभाग के प्रत्येक अधीनस्थ कार्यालय के लिए स्वतंत्र रूप से :

पहला पुरस्कार (2 पुरस्कार)	:	प्रत्येक रू0 800/-
दूसरा पुरस्कार (3 पुरस्कार)	:	प्रत्येक रू0 400/-
तीसरा पुरस्कार (5 पुरस्कार)	:	प्रत्येक रू0 300/-

....2/-

उक्त योजना के बारे में दिनांक 16 फरवरी, 1988 के कार्यालय ज्ञापन के तहत बनाए गए सभी नियम एवं शर्तें पूर्ववत् रहेंगी । पुरस्कार की बढ़ी हुई राशि 1 अप्रैल, 1998 से लागू मानी जाएगी ।

2. ठीक इसी प्रकार इस विभाग के दिनांक 6 मार्च, 1989 के कार्यालय ज्ञापन सं. 11/12013/1/89-रा.भा. (क-2) के तहत अधिकारियों को हिंदी में डिक्टेशन देने के लिए प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किये गये थे । उक्त मार्गदर्शी सिद्धांतो में पुरस्कार राशि लगभग 500/- रु0 रखी गई थी । इस पुरस्कार राशि को भी वित्त मंत्रालय व्यय विभाग की स्वीकृति के आधार पर बढ़ाकर दुगुना अर्थात् 1000/- रु0 कर दिया गया है । उक्त मार्गदर्शी सिद्धांत में वर्णित सभी शर्तें पूर्ववत् रहेंगी । इस योजना में दी जाने वाली बढ़ी हुई राशि भी पहली अप्रैल, 1998 से लागू मानी जाएगी ।

3. यह कार्यालय ज्ञापन वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग की सहमति से उनके दिनांक 3.8.98 के यू.ओ. सं0 1/(51)/ई.कोर्ड/98 के अनुसार जारी किया जा रहा है ।

(बृजमोहन सिंह नेगी)
निदेशक (नीति)

सेवा में,

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालयों, विभागों को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु, उनसे यह भी अनुरोध है कि इस कार्यालय ज्ञापन को अपने सम्बद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों की जानकारी तथा आवश्यक कार्रवाई के लिए ध्यान में ला दें एवं की गई कार्रवाई से राजभाषा विभाग को भी सूचित करें ।
2. संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली.
3. भारत का निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली.
4. भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कार्यालय, नईदिल्ली.
5. राष्ट्रपति सचिवालय, नई दिल्ली.
6. उप राष्ट्रपति सचिवालय, नई दिल्ली.
7. प्रधानमंत्री कार्यालय, नई दिल्ली.
8. मंत्रिमंडल सचिवालय, नई दिल्ली.
9. लोक सभा सचिवालय, नई दिल्ली.
10. राज्य सभा सचिवालय, नई दिल्ली.

....3/-

निदेशक,

11. योजना आयोग, नई दिल्ली.
12. निदेशक, केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो, नई दिल्ली.
13. निदेशक, केन्द्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली.
14. संसदीय राजभाषा समिति, 1 1 तीनमूर्ति मार्ग, नई दिल्ली.
15. केन्द्रीय सचिवालय हिंदी परिषद, एक्स-चाई-68, सरोजिनी नगर, नई दिल्ली.
16. अध्यक्ष, अखिल भारतीय हिंदी संस्था संघ, 34, कोटला रोड , नई दिल्ली.
17. राजभाषा विभाग के सभी अधिकारी/डेस्क/अनुभाग/एकक (कार्यान्वयन 2 अनुभाग को 3 प्रतियों के साथ).
18. राजभाषा विभाग के क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय (संलग्न सूचीअनुसार)
19. अतिरिक्त प्रतियां 100

सं‍ख्या-II/12013/1/89-रा०भा०(क-2)

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

राजभाषा विभाग

लोकनायक भवन, नई दिल्ली-110003

दिनांक 6 मार्च, 1989.

कार्यालय ज्ञापन

विषय: अधिकारियों को हिन्दी में डिक्टेशन देने के लिए प्रोत्साहन-मार्गदर्शी सिद्धान्त ।

अधिकारियों को हिन्दी में अधिक से अधिक डिक्टेशन देने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 27 सितम्बर, 1988 को इस विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं०-II/20015/62/88-रा०भा०(क-2) के अन्तर्गत सभी मंत्रालयों/विभागों को सलाह दी गई थी कि वे अपने-अपने कार्यालयों में प्रति वर्ष एक ऐसे अधिकारी को भी पुरस्कार के लिए चुनें जो साल में सबसे अधिक डिक्टेशन हिन्दी में दे । यह भी सुझाव दिया गया था कि यदि संभव हो तो हिन्दी भाषी और गैर हिन्दी भाषी अधिकारियों के लिए अलग-अलग पुरस्कार रखे जाएं । कई मंत्रालयों/विभागों ने अनुरोध किया है कि ऐसी योजना शुरू करने के लिए उन्हें मार्गदर्शन दिया जाए । अत: नीचे कुछ मार्गदर्शी सिद्धान्त दिये जा रहे हैं जिनके आधार पर संबंधित मंत्रालय/विभाग इस योजना को लागू कर सकते हैं :-

(1) ऐसे सभी अधिकारी, जिन्हें आशुलिपिक की सहायता उपलब्ध है या जो सामान्यत: डिक्टेशन देते हैं, इस योजना में शामिल हो सकते हैं ।

(2) योजना की अवधि वित्तीय वर्ष रखी जाए । वित्तीय वर्ष 1989-90 के शुरू होने से पहले इस योजना के बारे में सभी अधिकारियों को जानकारी दे दी जाए ।

(3). योजना में भाग लेने वाले अधिकारी उनके द्वारा हिन्दी में दिये गये डिक्टेशन के बारे में रिकार्ड रखेंगे ।

---------2/-

रिकार्ड उनके स्टेनो/निजी सहायक भी रख सकते हैं तथा उसके सत्यापन का पूरा उत्तरदायित्व संबंधित अधिकारी का होगा । यह रिकार्ड संबंधित मंत्रालय/विभाग द्वारा निर्धारित किये गये प्रोफार्मा (नमूना संलग्न है) में रखा जा सकता है अथवा संबंधित अधिकारी द्वारा एक फोल्डर रखा जा सकता है जिसमें डिक्टेशन देने वाले अधिकारी का नाम, डिक्टेशन की तिथि और डिक्टेशन लेने वाले कर्मचारी का नाम अंकित हो तथा दिये गये डिक्टेशन की प्रतियां संबंधित फाइल क्रमांक के साथ रखी गई हों ।

(4) पुरस्कार योजना के अन्तर्गत लगभग 500/- रुपये का पुरस्कार रखा जा सकता है । पुरस्कार दो भी रखे जा सकते हैं । एक पुरस्कार ऐसे अधिकारियों के लिए जिनका घोषित निवास स्थान "क" तथा "ख" क्षेत्र के अंतर्गत हो, और दूसरा पुरस्कार ऐसे अधिकारियों के लिए जिनका घोषित निवास स्थान "ग" क्षेत्र में हो ।

(5) सभी मंत्रालय/विभाग/कार्यालय इस योजना को स्वयं बना सकते हैं और पुरस्कार के लिए आवश्यक हिन्दी डिक्टेशन कार्य की न्यूनतम सीमा निर्धारित कर सकते हैं । "कार्यालय" से तात्पर्य सामान्यतः उस कार्यालय से होगा जिसका स्थानीय मुख्य अधिकारी विभागाध्यक्ष अथवा कार्यालयाध्यक्ष घोषित किया गया हो ।

(6) पुरस्कार निर्धारित करने के लिए किसी उच्च अधिकारी को मूल्यांकन अधिकारी नामित किया जा सकता है, अथवा इस हेतु एक समिति गठित की जा सकती है ।

2. क्योंकि यह योजना विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा उपर्युक्त मार्गदर्शी सिद्धांतों के आधार पर लागू की जा सकती है, वे ही इस संबंध में विस्तृत व्यवस्था करने के लिए सक्षम होंगे, जैसे कि यह तय करना कि योजना के अंतर्गत होने वाला व्यय किस शीर्ष के अंतर्गत आहरित किया जाए । अतएव मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि वे अपने-अपने कार्यालयों में राजभाषा

प्रोफार्मा (नमूना)

हिन्दी में अधिक से अधिक डिक्टेशन से संबंधित पुरस्कार योजना के अन्तर्गत रखे जाने वाले रिकार्ड का प्रोफार्मा (नमूना)

क्रम संख्या/दिनांक	डिक्टेशन से लिखे गये शब्दों की संख्या	फाइल संख्या	टिप्पणी